2015 का विधेयक संख्यांक 254

[दि फ्री एजुकेशनल एण्ड हॉस्टल फेसिलिटीज टू स्टुडेन्ट्स बिलोंगिंग टु दि शेड्यूल्ड कास्ट्स, दि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एण्ड एकोनोमिकली वीकर क्लास बिल, 2015 का हिन्दी रूपान्तर]

डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य

का

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा और छात्रावास सुविधाएं विधेयक, 2015

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को स्नातकोत्तर स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा और छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा और छात्रावास सुविधाएं अधिनियम, 2015 है।

(*2*) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(*3*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''समुचित सरकार'' से किसी राज्य के मामले में उस राज्य की सरकार और अन्य सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ख) ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का छात्र'' से ऐसा छात्र जिसकी सभी स्रोतों से पारिवारिक आय प्रतिवर्ष बीस हजार रुपए से अधिक न हो, अभिप्रेत है;

(ग) ''शैक्षिक संस्था'' से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या स्थापित किसी महाविद्यालय या संस्था या विश्वविद्यालय जो चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा प्रदान करता हो, अभिप्रेत है; और

(घ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

कतिपय वर्गों के छात्रों के लिए नि:शुल्क शिक्षा सुविधाएं।

3. प्रत्येक शैक्षिक संस्था अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों का ऐसी संस्था में नामांकन की तारीख से छह वर्षों की अवधि के लिए या अध्ययन का पाठ्यक्रम के पूरा होने तक, जो भी पहले हो, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करेगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क शिक्षा में,—

(क) प्रवेश और शिक्षा फीस पर हुए सभी व्यय;

(ख) नि:शुल्क पुस्तकों और लेखन-सामग्री मदों का उपबंध; और

(ग) छात्रवृत्तियाँ, ऐसे मामलों में जो विहित किए जाएं, शामिल हैं।

नि:शुल्क छात्रावास सुविधाएं।

4. समुचित सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, नि:शुल्क छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

पर्याप्त संख्या में छात्रावासों की स्थापना।

5. समुचित सरकार अपनी प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर ऐसे स्थानों पर और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, पर्याप्त संख्या में छात्रावासों की स्थापना और अनुरक्षण करेगी या स्थापना या अनुरक्षण कराएगी।

अधिनियम का अन्य विधियों के अल्पीकरण में न होना।

6. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम से संबंधित किसी भी विषय को विनियमित करने वाली किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

नियम बनाने को शक्ति।

7. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(*2*) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र अथवा आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन अथवा उसे बातिल करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी होगा। किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हमारे देश में आज़ादी के साठ से अधिक वर्षों के बीत जाने के पश्चात् भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधिकांश छात्र, विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा की बात तो दूर है अपनी स्कूली शिक्षा के लिए भी धन जुटाने में असमर्थ हैं। उनमें से सबसे गरीब छात्र प्राथमिक विद्यालयों तक भी जाने में असमर्थ हैं तथा वे निरक्षर रह जाते हैं और इस प्रकार समाज में उनका शोषण होता रहता है। सरकार उन्हें नि:शुल्क स्कूल शिक्षा प्रदान करती है लेकिन यह काफी नहीं है। स्कूल शिक्षा पूरा करने के पश्चात् जब वे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय जाते हैं तो शिक्षा फीस या छात्रावास प्रभारों का भुगतान करना उनकी पहुंच से परे होता है। चिकित्सीय या अभियांत्रिकी के छात्रों को छात्रावासों में ठहराना पड़ता है जो काफी महंगे होते हैं और इन वर्गों के छात्र इन छात्रावासों में रहने का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। यह स्थिति उनमें से सबसे होनहार छात्रों को भी उच्च शिक्षा त्यागने के लिए विवश करती है। कुछ मामलों में उन्हें शिक्षा फीस में छूट दी जाती है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। अत: यह आवश्यक है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा और छात्रावास सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाया जा सके।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
13 नवम्बर, 2015
22 कार्तिक, 1937 (शक)

उदित राज

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 3 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने का उपबंध किया गया है। खण्ड 4 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध कराने का उपबंध किया गया है। खण्ड 5 में पर्याप्त संख्या में छात्रावासों की स्थापना करने का उपबंध है। अत: इस विधेयक के अधिनियमित होने पर भारत की संचित निधि में से व्यय होगा। इस पर प्रतिवर्ष एक सौ करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय होने का अनुमान है।

इस पर एक सौ करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय भी होने की संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खंड 7 सरकार को इस विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। चूंकि इन नियमों का संबंध केवल ब्यौरों के मामलों से है, अत: विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

———

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को
स्नातकोत्तर स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा और छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने
तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध
करने के लिए
विधेयक

———

(डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—3171LS(S3)—10-12-2015.